दिनांक – 17-5-24 को अवैध शराब/मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त 07 अभियुक्तों को अलग अलग थाना क्षेत्रों से किया गिरफ्तार

ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 के विजन को साकार करने के लिये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में अवैध शराब/मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु प्रभावी चैकिंग सुनिश्चित करने तथा अवैध नशा तस्करी में लिप्त अभियुक्तों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त निर्देशों के अनुपालन में दून पुलिस द्वारा अलग-अलग थाना क्षेत्रों में की गई कार्यवाही निम्नवत है:-

1- थाना सहसपुर

905 ग्राम अवैध चरस के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

दिनांक 16.05.2024 को जस्सोवाला पुल के पास थाना क्षेत्रान्तर्गत थाना सहसपुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र अर्जुन सिंह को 905 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा तस्करी में प्रयुक्त वाहन UK07FN-6064(FRONX) को सीज करते हुए, अभियुक्त के विरूद्व थाना सहसपुर में अंतर्गत मु0अ0सं0- 152/24 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा पूछताछ मे बताया कि वह गुर्जर बस्ती चिडियापुर, नजीबाबाद से सस्ते दामो में चरस लाकर जस्सोवाला में स्थानीय लोगो को उंचे दामो में बेचता है, आज भी वह नजीबाबाद से चरस लेकर आ रहा था।

नाम पता अभियुक्त

अनिल कुमार पुत्र अर्जुन सिंह निवासी सपेरा बस्ती रिस्पना पुल, नेहरुकालौनी जनपद देहरादून, उम्र 26 वर्ष

बरामदगी

(1)-905 ग्राम अवैध चरस (अनुमानित कीमत- 90500/-रु0)

(2)- कार सं0 UK07FN-6064(FRONX)

2-कोतवाली नगर,देहरादून

08.00 ग्राम स्मैक तथा 52 पव्वे देसी शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 16.05.2024 की सांय चौकिंग के दौरान लक्खीबाग चौकी क्षेत्र अंतर्गत त्यागी रोड से एक अभियुक्त को 8 ग्राम स्मैक के साथ तथा धारा चौकी क्षेत्र अंतर्गत निकट दुर्गा मंदिर ग्रीन वैली कॉलोनी से एक अन्य अभियुक्त को 52 पव्वे देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। कोतवाली में मु0अ0सं0- 239/24 धारा 8/21 एनडीपीएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

नाम पता अभियुक्त

1- मुकर्रम पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम बेलडा थाना नागल जिला सहारनपुर उ0प्र0 उम्र 42 वर्ष

2- सोनू उर्फ अरशद पुत्र अमीर हसन3 निवासी अजमल खा रोड नजीबाबाद बिजनौर, उम्र 31 वर्ष।

बरामदगी

1- 8 ग्राम अवैध स्मैक

2- 52 पव्वे देशी शराब

3- थाना रायवाला

5.50 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक नशा तस्कर गिरफ्तार

दिनांक 16/17-05-2024 की रात्रि को चेकिंग के दौरान रायवाला हरिपुरकला क्षेत्रान्तर्गत इन्टर कालेज रोड, महालक्ष्मी ज्वैलर्स के सामने वाली गली के पास एक अभियुक्त को 05.50 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के विरुद्ध थाना रायवाला पर मु0अ0सं0-152/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

नाम/पता अभियुक्त

राम दुबे पुत्र स्व0 शकर निवासी इन्टर कॉंलेज रोड महालक्ष्मी ज्वैलर्स के सामने हरिपुरकला रायवाला, उम्र-28 वर्ष

बरामदगी विवरण

05.50 ग्राम अवैध स्मैक

4- थाना नेहरूकालोनी

84 पव्वे देशी शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 16-05-2024 को थाना नेहरूकालोनी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत चैकिंग के दौरान मोहक्मपुर फलाईओवर के नीचे एक अभियुक्त को 84 पव्वे माल्टा मसालेदार देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्व थाना नेहरू कालोनी में मु0अ0सं0- 150/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

नाम/पता अभियुक्त

भूषण कुमार पुत्र रामजी यादव, निवासी मोहकमपुर, नेहरूकालोनी देहरादून

बरामदगी

84 पव्वे देशी शराब

4-कोतवाली ऋषिकेश

03 पेटी अवैध अग्रेंजी/देशी शराब के साथ अलग-अलग स्थानों से 02 अभियुक्त गिरफ्तार

(1)- दिनांक 16-05-2024 को कोतवाली ऋषिकेश पुलिस द्वारा अभियुक्त रमेश साहनी पुत्र लक्ष्मी साहनी निवासी गली नंबर 7 गुमानी वाला ऋषिकेश देहरादून को 52 पव्वे अंग्रेजी शराब मैकडोवेल नंबर वन व्हिस्की के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्व कोतवाली ऋषिकेश में मु0अ0सं0- 244/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

नाम/पता अभियुक्त

रमेश साहनी पुत्र लक्ष्मी साहनी निवासी गली नंबर 7 गुमानी वाला ऋषिकेश देहरादून

बरामदगी:

52 पव्वे अंग्रेजी शराब मैकडोवेल नंबर वन व्हिस्की

दिनांक 16-05-2024 को श्यामपुर फाटक के पास से अभियुक्त अजय राठौर पुत्र सतपाल राठौर निवासी किशनपुर मंडी थाना पथरी जिला हरिद्वार को मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नंबर UK17F5560 पर 110 पव्वे देशी शराब माल्टा की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त द्वारा तस्करी में प्रयुक्त की जा रही मोटरसाइकिल को सीज करते हुए, अभियुक्त के विरूद्व कोतवाली ऋषिकेश में मु0अ0सं0- 245/24 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

नाम/पता अभियुक्त

अजय राठौर पुत्र सतपाल राठौर निवासी किशनपुर मंडी थाना पथरी जिला हरिद्वार

बरामदगी:-

(1)- 110 पव्वे देशी शराब,

(2)- मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नंबर UK17F5560

थाना रायवाला
0135-2484239
नोटिस बोर्ड
POLICE
No Smoking Area-
Smoking Here is an Offence

थाना नेहरू कॉलोनी
POLICE

सत्यमेव जयते
कोतवाली नगर देहर

UK07FN6064
POLICE